Dr. Aman Murmu
Associate Professor
Deptt of psychology
R.M.C. Sasaram

classmate

प्रत्यक्षीकरण के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत —— प्रमुख गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने जिनमें वर्दाइमर, कोफका, कोहलर आदि आदि आते हैं। प्रत्यक्षीकरण के दौरान उद्दीपक विशेषताओं के समूहीकरण का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों की धारणा है कि उद्दीपकों का पृथक्कीकरण अथवा समूहीकरण कुछ आन्तरिक एवं बाह्य विशेषताओं के कारण हो पाता है और प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में विद्यमान उद्दीपक विशेषताओं के सीमित इकाईयों के रूप में संगठित हो जाते हैं। प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में रहनेवाले विभिन्न अवयव अलग-अलग नहीं दिखाई पड़ते बल्कि पारस्परिक संबंधों के आधार पर संगठित हो जाते हैं और इस प्रकार जब भी संभव होता है आकृतियाँ स्वत: समूहों के रूप में ही प्रत्यक्षीकरण होती है। समूहीकरण सदैव आकृति की सुन्दरता की दिशा में होता है। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की भाषा में इसे प्राग्नान्ज का नियम कहते हैं। प्राग्नान्ज का नियम यह बतलाता है कि यदि उद्दीपक अवयवों का समूहीकरण कई तरह से संभव है तो समूहीकरण अनिश्चित या यादृच्छिक नहीं होकर उस रूप में होता है जो उपलब्ध संगठनों में सर्वाधिक सुन्दर हो यही कारण है कि प्रत्यक्षीकरण संगठन नियमित रूप सहज तथा समान होते हैं।

प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम प्रत्यक्षीकरण संगठन के वे नियम हैं जो उद्दीपक में अन्तर्निहित विशेषताओं से संबंधित हैं और जो अनुभवों पर आश्रित नहीं होते हैं, आन्तरिक नियम के रूप में जाने जाते हैं। इन नियमों के द्वारा ऐसे समरूपों का निर्माण संभव होता है जिसे प्रत्यक्षीकरण में प्राग्नान्ज बना रहता है। ये नियम निम्नलिखित हैं——

Scanned with CamScanner

1. निकटता का नियम (Law of Proximity) प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में वे अंग या अवयव जो समय की दृष्टि से जल्दी प्रस्तुत किए जा रहे हो अथवा स्थान की दृष्टि से जल्दी पास में स्थित हो सदैव उपसमूहों में संगठित हो जाते हैं और उनका प्रत्यक्षीकरण उनकी निकटता के आधार पर निर्धारित होता है। यदि अन्य विशेषताएं उद्दीपकों के प्रत्यक्षीकरण में सहायक न हो सके तो निकटता के कारण उद्दीपकों का समूहीकरण हो जाता है।

2. समानता का नियम Law of Similarity यदि प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में विभिन्न अंग विभिन्न रूप वाले हो और निकटता के कारण उनका समूहीकरण कठिन हो रहा हो तो उन उद्दीपकों का संगठन समानता के आधार पर होता है। ऐसा होने के लिए यह जरूरी होता है कि समान उद्दीपक पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किए जाएं ताकि उनका प्रभावी संगठन बन सके।

3. निरंतरता तथा दिशा का नियम Continuity & :
इस नियम के अनुसार प्रत्यक्षीकरण सदैव निरंतर और अविच्छिन्न दिशा की ओर उन्मुख होता है विच्छिन्न और खण्डित उद्दीपकों की अपेक्षा अविच्छिन्न और निरन्तर दिशा के उद्दीपक ज्यादा प्रभावी होते हैं। इस नियम के अनुसार उद्दीपकों का ऐसा संगठन बनता है जो निरंतर हो और यदि कोई संगठन विद्यमान है तो अन्य सम्बंधित उद्दीपक भी उसी के साथ जुड़ जाते हैं।

4. पूर्तिका नियम (Law of closure) अधूरी या अंशतः अपूर्ण आकृति पूर्ति के नियम के अनुसार समूह बनाती है और अधूरी आकृति भी पूर्ण जैसी लगती है। इस प्रकार यह नियम अपूर्ण को पूर्ण करते हुए प्रत्यक्ष करने पर जोर देता है।

Scanned with CamScanner